रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 2016/श्रावण 21, 1938
No. 563] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 2016/SRAVANA 21 , 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 791(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) चौथा संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 18 के उपनियम (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(11) इस नियम में शामिल कोई बात भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 29 सितंबर, 2015 के ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 17 के अनुसार विदेशी निवेशकों को अनन्य रूप से जारी रुपए अंकित मूल्य बांड पर लागू नहीं होगा।"।

[फा. सं. 01/04/2013-सीएल-V-पार्ट-II]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 265(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए थे –

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	तारीख
1	सा.का.नि.413(अ)	18.06.2014
2	सा.का.नि.210(अ)	18.03.2015
3	सा.का.नि.439(अ)	29.05.2015
4	सा.का.नि.841(अ)	06.11.2015
5	सा.का.नि.290(अ)	10.03.2016
6	सा.का.नि.358(अ)	29.03.2016
7	सा.का.नि.704(अ)	19.07.2016

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, 12th August, 2016

G.S.R. 791(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Share Capital and Debentures) Fourth Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, in rule 18, after Sub-rule (10), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(11) Nothing contained in this rule shall apply to rupee denominated bonds issued exclusively to overseas investors in terms of A.P. (DIR Series) Circular No. 17 dated September 29, 2015 of the Reserve Bank of India.".

[F. No. 01/04/2013-CL-V- Part-II]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 265(E), dated 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* notifications as detailed below:-

Sl. No.	Notification number	Date
1.	G.S.R. 413 (E)	18.06.2014
2.	G.S.R. 210 (E)	18.03.2015
3.	G.S.R. 439 (E)	29.05.2015
4.	G.S.R. 841 (E)	06.11.2015
5.	G.S.R. 290 (E)	10.03.2016
6.	G.S.R. 358 (E)	29.03.2016
7.	G.S.R. 704 (E)	19.07.2016

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.